न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी
प्रकरण संख्याः 507/2025

धर्मपाल पुत्र झण्डूराम जाति मेघवाल निवासी चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ
-:प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1

बनाम्

1 सौदागर सिंह पुत्र जोधा सिंह जाति मजबीसिख निवासी बूडसिंहवाला तहसील हनुमानगढ हाल आबाद झोरड़खेड़ा तहसील व जिला फिरोजपुर (पंजाब)
-:अप्रार्थी/वादी

उपस्थितः-
1 श्री रामकुमार कस्वां - अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1
2 श्री सुरेन्द्र सहारण - अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी

-:निर्णयः-

दिनांक :- 03.02.2026

पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेशी में ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री रामकुमार कस्वां अप्रार्थी अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सहारण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता पर उभय पक्ष बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अभिकथित वादी सौदागर सिंह द्वारा उक्त वाद चक 38 एनजीसी के खाता संख्या 148/95 में दर्ज कुल 2.024 हैक्टयर भूमि में 3/8 हिस्सा अर्थात 0.759 हैक्टयर भूमि के खातेदारी अधिकारों बाबत प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रश्नगत् भूमि के असल खातेदार सौदागर सिंह द्वारा उसके नाम दर्ज .759 भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 28.04.2025 पंजीबद्ध दिनांक 30. 04.2025 प्रार्थी को विक्रय की हुई है, खातेदार सौदागर सिंह द्वारा प्रार्थी के पक्ष में करवाया गया उक्त बैयनामा उपपंजीयक कार्यालय हनुमानगढ से पंजीबद्धशुद्धा है। अभिकथित वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद-पत्र के जरिये प्रार्थी के पक्ष में हुए पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा को अवैध व शुन्य घोषित करते हुए विक्रयशुद्धा भूमि के खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई है जबकि पंजीकृत दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना वादी कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है व न ही उक्त दस्तावेज को नियमानुसार निरस्त करवाये वादी माननीय न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है बिना पंजीबद्ध दस्तावेज बैयनामा के अस्तिव में रहते राजस्व न्यायालय को वाद-पत्र सुनने की अधिकारीता नही है व वाद वादी क्षेत्राधिकार विहिन होने व वार्ड बाई ला होने इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि वादी प्रश्नगत् भूमि का न तो रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा न ही वादी का प्रश्नगत् भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हित व अधिकार है व न ही अभिकथित व्यक्ति का हक हित व अधिकार हो ही सकता है। जिस कारण वादी को उक्त वाद-पत्र प्रस्तुत करने की अधिकारीता हासिल नही है तथा न ही वादी को वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण ही हासिल है। जिससे वाद वादी इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि वादी द्वारा सीधे तौर पर प्रार्थी के पक्ष में हुए बैयनामा को निरस्त करने का अनुतोष उक्त वाद-पत्र में चाहा गया है जबकि बैयनामा निरस्त करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को न होकर केवल मात्र सिविल न्यायालय को है। जिस कारण वाद-पत्र वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नही है तथा वाद-पत्र वादी चलने योग्य नही है व इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वाद-पत्र वादी खारिज फरमाया जावे।

वादी अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सहारण ने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया तथा मुख्य रूप से यह कथन किया कि उक्त शीर्षक का वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष जैरकार होना स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णितानुसार वादी सौदागर सिंह द्वारा उक्त वाद चक 48-एनजीसी के खाता संख्या 148/95 में दर्ज कुल 2.024 हेक्टेयर कृषि भूमि में 3/8 हिस्सा अर्थात 0.759 हेक्टेयर कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों बाबत प्रस्तुत किए जाने के कथन स्वीकार हैं। अन्य कथन जिस प्रकार से वर्णित किए गए हैं, अस्वीकार हैं। वादी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि का कोई बैयनामा प्रतिवादी संख्या-1 के पक्ष में नहीं करवाया गया है, बल्कि प्रतिवादी संख्या-1 भूमाफिया प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसने एक गिरोह बना रखा है और जो गरीब किसानों की भूमि फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर हड़प कर लेता है। प्रतिवादी संख्या-1 ने वादी के स्थान पर किसी अन्य अभिकथित व्यक्ति सौदागर सिंह पुत्र जोधा सिंह जाति मजबी सिख निवासी बूड़सिंहवाला को खड़ा कर उसके साथ मिलीभगत कर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वादी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का बैयनामा अपने पक्ष में करवा लिया है, उक्त बैयनामा फर्जी व कूटरचित होने के कारण वादी के अधिकारों के प्रति प्रारंभतः शून्य व अवैध दस्तावेज है, विधि के प्रावधानों के अनुसार जो दस्तावेज शुरू से ही शून्य व अवैध है, चाहे वह दस्तावेज रजिस्टर्ड ही हो, उसे दीवानी न्यायालय से निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं है। वादी का वाद पत्र कृषि भूमि से संबंधित है, जिसमें वादी का हक व हिस्सा का निर्धारण करने तथा खाता विभाजन करने का अधिकार माननीय न्यायालय को है, इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र किसी भी प्रकार से क्षेत्राधिकार विहीन नहीं है तथा ना ही बार्ड बाई ला है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या-2 जिस प्रकार से वर्णित की गई है. अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या-1 ने फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, लेकिन उक्त कृषि भूमि आज भी वादी के कब्जाकाश्त में है, मात्र राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवा लेने से प्रतिवादी संख्या-1 के वादी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होते। प्रश्नगत कृषि भूमि वादी द्वारा दिनांक 09.01.1981 को सरजीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह से जरिये इकरारनामा खरीद की गई थी तथा उसके पश्चात दिनांक 10.06.1981 को जरिये बैयनामा प्रश्नगत कृषि भूमि उपपंजीयक हनुमानगढ़ के समक्ष उपस्थिति होकर रूबरू गवाहान सप्रतिफल सरजीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह से खरीद की गई है तथा खरीद के दिवस से ही उक्त भूमि वादी के कब्जाकाश्त में चली आ रही है, उक्त असल इकरारनामा व बैयनामा वादी के पास है। वादी के वाद पत्र की विषयवस्तु कृषि भूमि है, जिसमें वादी के हक व अधिकार निहित होने के कारण उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो किसी भी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या-3 जिस प्रकार वर्णित की गई है, अस्वीकार है। वादी ने अपने वाद पत्र के जरिये उक्त बैयनामे को निरस्त करवाने का अनुतोष नहीं चाहा है

कि उक्त बैयनामा फर्जी व कूटरचित होने के कारण प्रारंभतः ही शून्य व अवैध दस्तावेज है, विधि के प्रावधानों के अनुसार जो दस्तावेज शुरू से ही शून्य व अवैध है, चाहे वह दस्तावेज रजिस्टर्ड ही हो, उसे दीवानी न्यायालय से निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र की विषयवस्तु कृषि भूमि है, जिसके संबंध में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार मात्र राजस्व न्यायालय को है तथा विधि के प्रावधानों के अनुसार आदेश 14 नियम 2 के तहत उक्त बिन्दू पर अलग से तनकियात कायम कर, साक्ष्य उपरान्त उसमें निर्णय पारित किया जा सकता है, ना कि इस प्रक्रम पर वाद पत्र को खारिज किया जा सकता है। वादी का वाद पत्र किसी भी प्रकार से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार से बाहर का नहीं है। प्रतिवादी संख्या-1 ने उक्त प्रार्थना पत्र महज वाद को देरी ना करने के आशय से प्रस्तुत किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दौराने बहस अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत 2025(2) आर.आर.टी 1129, 948, 2019(1) आर.आर.टी 117, 2023(30) आर.बी.जी 106 पेश किया। फॉर्म 3 के साथ चित्रप्रति दीवानी वाद 2026 माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश हनुमानगढ पेश की। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2021(1) आर.आर.टी 500 पेश किया।

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत् भूमि के असल खातेदार सौदागर सिंह द्वारा उसके नाम दर्ज 0.759 भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 28.04.2025 पंजीबद्ध दिनांक 30.04.2025 प्रार्थी को विक्रय की हुई है, खातेदार सौदागर सिंह द्वारा प्रार्थी के पक्ष में करवाया गया उक्त बैयनामा उपपंजीयक कार्यालय हनुमानगढ से पंजीबद्धशुद्धा है। अभिकथित वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद-पत्र के जरिये प्रार्थी के पक्ष में हुए पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा को अवैध व शुन्य घोषित करते हुए विक्रयशुद्धा भूमि के खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई है जबकि पंजीकृत दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना वादी कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है व न ही उक्त दस्तावेज को नियमानुसार निरस्त करवाये वादी माननीय न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। पंजीबद्ध दस्तावेज बैयनामा के अस्तिव में रहते राजस्व न्यायालय को वाद-पत्र सुनने की अधिकारीता नही है व वाद वादी क्षेत्राधिकार विहिन होने व बार्ड बाई ला होने के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। इसलिए प्रश्नगत आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद शुदा होने के कारण बैयनामा के प्रभाव में रहते हुए वादी का वाद पत्र विधि द्वारा पोषणीय नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वादी ने अपने वाद पत्र के जरिये उक्त बैयनामे को निरस्त करवाने का अनुतोष नहीं चाहा है बल्कि उक्त बैयनामा फर्जी व कूटरचित होने के कारण प्रारंभतः ही शून्य व अवैध दस्तावेज है, विधि के प्रावधानों के अनुसार जो दस्तावेज शुरू से ही शून्य व अवैध है, चाहे वह दस्तावेज रजिस्टर्ड ही हो, उसे दीवानी न्यायालय से निरस्त करवाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र की विषयवस्तु कृषि भूमि है, जिसके संबंध में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार मात्र राजस्व न्यायालय को है तथा विधि के प्रावधानों के अनुसार आदेश 14 नियम 2 के तहत उक्त बिन्दू पर अलग से तनकियात कायम कर, साक्ष्य उपरान्त उसमें निर्णय पारित किया जा सकता है, ना कि इस प्रक्रम पर वाद पत्र को खारिज किया जा सकता है। वादी का वाद पत्र किसी भी प्रकार से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार से बाहर का नहीं है।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों व पत्रावली मे मौजूद दस्तावेजों

बल्कि उक्त बैयनामा फर्जी व कूटरचित होने के कारण प्रारंभतः ही शून्य व अवैध दस्तावेज है, विधि के प्रावधानों के अनुसार जो दस्तावेज शुरू से ही शून्य व अवैध है, चाहे वह दस्तावेज रजिस्टर्ड ही हो, उसे दीवानी न्यायालय से निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र की विषयवस्तु कृषि भूमि है, जिसके संबंध में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार मात्र राजस्व न्यायालय को है तथा विधि के प्रावधानों के अनुसार आदेश 14 नियम 2 के तहत उक्त बिन्दू पर अलग से तनकियात कायम कर, साक्ष्य उपरान्त उसमें निर्णय पारित किया जा सकता है, ना कि इस प्रक्रम पर वाद पत्र को खारिज किया जा सकता है। वादी का वाद पत्र किसी भी प्रकार से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार से बाहर का नहीं है। प्रतिवादी संख्या-1 ने उक्त प्रार्थना पत्र महज वाद को देरी ना करने के आशय से प्रस्तुत किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दौराने बहस अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत 2025(2) आर.आर.टी 1129, 948, 2019(1) आर.आर.टी 117, 2023(30) आर.बी.जी 106 पेश किया। फॉर्म 3 के साथ चित्रप्रति दीवानी वाद 2026 माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश हनुमानगढ पेश की। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2021(1) आर.आर.टी 500 पेश किया।

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत् भूमि के असल खातेदार सौदागर सिंह द्वारा उसके नाम दर्ज 0.759 भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 28.04.2025 पंजीबद्ध दिनांक 30.04.2025 प्रार्थी को विक्रय की हुई है, खातेदार सौदागर सिंह द्वारा प्रार्थी के पक्ष में करवाया गया उक्त बैयनामा उपपंजीयक कार्यालय हनुमानगढ से पंजीबद्धशुद्धा है। अभिकथित वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद-पत्र के जरिये प्रार्थी के पक्ष में हुए पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा को अवैध व शुन्य घोषित करते हुए विक्रयशुद्धा भूमि के खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई है जबकि पंजीकृत दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना वादी कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है व न ही उक्त दस्तावेज को नियमानुसार निरस्त करवाये वादी माननीय न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। पंजीबद्ध दस्तावेज बैयनामा के अस्तिव में रहते राजस्व न्यायालय को वाद-पत्र सुनने की अधिकारीता नही है व वाद वादी क्षेत्राधिकार विहिन होने व बार्ड बाई ला होने के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। इसलिए प्रश्नगत आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद शुदा होने के कारण बैयनामा के प्रभाव में रहते हुए वादी का वाद पत्र विधि द्वारा पोषणीय नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वादी ने अपने वाद पत्र के जरिये उक्त बैयनामे को निरस्त करवाने का अनुतोष नहीं चाहा है बल्कि उक्त बैयनामा फर्जी व कूटरचित होने के कारण प्रारंभतः ही शून्य व अवैध दस्तावेज है, विधि के प्रावधानों के अनुसार जो दस्तावेज शुरू से ही शून्य व अवैध है, चाहे वह दस्तावेज रजिस्टर्ड ही हो, उसे दीवानी न्यायालय से निरस्त करवाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र की विषयवस्तु कृषि भूमि है, जिसके संबंध में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार मात्र राजस्व न्यायालय को है तथा विधि के प्रावधानों के अनुसार आदेश 14 नियम 2 के तहत उक्त बिन्दू पर अलग से तनकियात कायम कर, साक्ष्य उपरान्त उसमें निर्णय पारित किया जा सकता है, ना कि इस प्रक्रम पर वाद पत्र को खारिज किया जा सकता है। वादी का वाद पत्र किसी भी प्रकार से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार से बाहर का नहीं है।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों व पत्रावली मे मौजूद दस्तावेजों

का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा प्रतिवादी सं. 1 की पूर्व में खरीदशुदा भूमि है। पत्रावली में मौजूद जमाबंदी चक 38 एनजीसी खाता सं. 148/95 में प्रतिवादी सं. 1 धर्मपाल पुत्र झण्डूराम अभिलिखित खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र अनुतोष दफा क में अभिलिखित खातेदार का नाम कलमजन कर घोषणा का अनुतोष चाहा गया है, किंतु तबतक अभिलिखित खातेदार का नाम कलमजन नहीं किया जा सकता जबतक नाम कलमजन करने का उचित कारण नहीं हो अथवा पंजीकृत दस्तावेज प्रभावशील हो। सामान्यतः, रजिस्ट्री (Registered Document) एक वैध और कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज है, क्योंकि इसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के तहत रजिस्ट्रार/सब-रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज किया जाता है। किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज को रद्द (Cancel) या अमान्य (Declare Void) करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। एक अभिलिखित खातेदार जो जरिये पंजिकृत दस्तावेज राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अभिलिखित हो, किसी सक्षम न्यायालय से रजिस्टर्ड डीड कैन्सल होने के उपरांत ही वादी को गुणावगुण आधार पर घोषणा का अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र इस न्यायालय में पोषणिय नहीं है।। अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांट हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होते है, क्योंकि प्रश्नगत भूमि में बेचान हिस्से से अधिक नहीं है एवं न ही पारिवारिक मामला है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। तथा हस्तगत वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार कर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। आदेश सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

6

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः- (मांगी लाल) RAS

प्रकरण संख्याः- 507/2025

धर्मपाल पुत्र झण्डूराम जाति मेघवाल निवासी चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

-:प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1

बनाम्

सौदागर सिंह पुत्र जोधा सिंह जाति मजबीसिख निवासी बूडसिंहवाला तहसील हनुमानगढ हाल आबाद झोरड़खेड़ा तहसील व जिला फिरोजपुर (पंजाब)

-:अप्रार्थी/वादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 मिन जामिन मुदई श्री सुरेन्द्र सहारण वकील वादी व राजपैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व घोषणा की जाकर डिक्री दी जाती है किः- प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। तथा हस्तगत वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार कर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 03.02.2026 को जारी किया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ